प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 173 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

बुक नं0

1.जिला जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ0 नि0ब्यूरो जयपुर वर्ष 2025
प्र0इ0रि0सं0.........59/2025 दिनांक 19/3/2025

(1) धारा 13(1)(डी) सपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988, तथा 120 बी भा.द.स. एवं 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018

अधिनियम..धाराऐं ....

अधिनियम..धाराऐं..............................

अन्य अधिनियम एवं धाराऐं..

2. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या.........................263.........समय..................2:14 PM,

(ब) अपराध घटने का दिन.... जून 2017 से फरवरी 2019.....

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 11.02.2019 समय 2.30 P.M.

3. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक ....लिखित..........

4. घटनास्थल :–

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी करीब– उत्तर पश्चिम, 250 किलोमीटर

(ब) पता – ....बीट संख्या..........................जरायमदेही सं.

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो........

पुलिस थाना..जिला................................

5. परिवादी/सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम –विजय स्वर्णकार

(ब) पिता/पति का नाम श्री जी.एस. स्वर्णकार

(स) जन्म तिथि/वर्ष............05.12.1968..

(द) राष्ट्रीयता..

(य) पासपोर्ट संख्या.. जारी होने की तिथि..........

जारी होने की जगह..

(र) व्यवसाय... अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।

(ल) पता –मोहनगढ, नाथद्वारा जिला राजसमंद। पिन–313301

6. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहितः–

1. श्री गजानन्द सोनी पुत्र श्री श्यामलाल निवासी– सी–05/403–404, महालक्ष्मीपुरम, सिंघानिया स्कूल के सामने, बारां रोड, कोटा तत्कालीन निदेशक (लेखा) ह.च.मा. रीपा क्षेत्रीय कार्यालय कोटा हाल सेवानिवृत्त।
2. अन्य

7. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारणरू– कोई विलम्ब नही

8. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य 99,38,008 /– रुपए

10. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)..

11. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाऐं) :–

महोदय,

प्रकरण के हालात इस प्रकार हैं कि हरिशचन्द्र माथुर क्षेत्रीय कार्यालय कोटा के प्रशिक्षणार्थीयों के द्वारा दिनांक 11.02.2019 को एक शिकायती प्रार्थना पत्र श्रीमान महानिरीक्षक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, जयपुर को संबोधित कर पेश किया, जो निम्न आशय का है –हरिशचन्द्र माथुर राज0 राज्य लोक प्रशासन क्षेत्रीय कार्यालय कोटा में नया प्रशिक्षण भवन, होस्टल व 6 रेजीडेन्स भवन बनाए गए हैं। माह मार्च 2017 में अनओथोराईज रुप से बिना पजेशन लिए हुए ओ0टी0एस0 कोटा कार्यालय को इस न्यू भवन में शिफ्ट किया गया था तथा इसीलिए शिफ्टिंग का माह– अप्रेल दिखाया गया है। जिसमें फर्नीचर कय करने के लिए लगभग इकसठ, बासठ लाख रुपये का बजट स्वीकृत होकर आया था। यह है कि वर्तमान में इस कार्यालय में श्री गजानन्द सोनी अतिरिक्त निदेशक (लेखा) कार्यरत हैं, श्री सोनी द्वारा फर्नीचर कय में बड़ा घपला किया गया है। समस्त राशि का फर्नीचर अपने मिलने वाले आदमी से ले लिया गया। सप्लाई करने वाले व्यक्तियों ने कम्प्यूटरों के माध्यम से फर्मों का नाम दिया है। फर्नीचर क्रय में कोई नियम, शर्तें नहीं अपनाई गई हैं मात्र कोटेशन लेकर इकसठ बासठ लाख रुपये का फर्नीचर कय किया है, तथा बडी चतुराई से कागज, व बिल तैयार कर इन्हें दिए हैं तथा पुराना फर्नीचर रंग रोगन कर सप्लाई किया है। इतनी बड़ी राशि का फर्नीचर सप्लाई करने की योग्यता व शर्तें कोटा में मात्र दो ही फर्मे रखती हैं, जिनको इस क्रय प्रक्रिया की कोई जानकारी ही नहीं है। जो फर्नीचर क्रय किया गया

यदि उसकी कीमत आंकी जावे तो मात्र लगभग 15 से 20 लाख तक मुश्किल से हो सकती है । फर्नीचर सडा गला व दीमक लगा हुआ है तथा लगभग आधा फर्नीचर टूट गया है कोई काम का नहीं रहा है ओर क्रय किए हुए मात्र दो साल भी नहीं हुए हैं इस फर्नीचर क्रय में लगभग चालीस लाख से पैंतालीस लाख रुपये का घपला किया गया है । इस कार्यालय की कनिष्ठ लेखाकार संगीता सांवरिया ने बड़ी हिम्मत कर लिखित में श्री सोनी की शिकायत फाईनेन्स विभाग तथा रीपा जयपुर में की है । परन्तु संबंधित उच्च अधिकारी महोदय, जांच करवाने में – आना कानी कर रहे हैं अतः जांच ए0सी0डी0 को सौंपी जानी चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके।

यह है कि श्री सोनी द्वारा इस कार्यालय में प्रत्येक प्रशिक्षण बैच से पैसे लिए जाते हैं। कोई रसीद नहीं दी जाती है हमको खाना बाहर नहीं खाने दिया जाता है, बदबू दार खाना खाने के लिए मजबूर किया जाता है । जो बैच प्रशिक्षण में आता है उसे होस्टल में रहने के लिए मना किया जाता है । जब पैसे दे दिए जाते हैं तब अन्दर घुसने दिया जाता है। नई नौकरी होने के कारण कोई भी प्रशिक्षणार्थी डर के कारण सच बोलने के लिए मुह नहीं खोलता है । प्रति प्रशिक्षण बैच से ये प्रति प्रशिक्षणार्थी 3800 रुपये से 4000 रुपये औसतन पैसा लेते हैं तथा तीन लाख से चार लाख प्रति बैच कमा रहे हैं । यह है कि सोनी द्वारा चाय के, खाद के, मिट्टी के, बागवान के, सफाई के व परचेजिंग के फर्जी बिल बनाकर उठाए जाते हैं, यहां जो प्राईवेट आदमी लगे हुए हैं उन्होंने फर्जी बिल बुकें छपवा रखी हैं। अतः यहां जितने भी प्राईवेट आदमी लगे हुए हैं जैसें माली व होस्टल में खाना देने वाला, सभी को तुरंत इस कार्यालय से हटाया जावे इन्होंने भी भ्रष्टाचार फैला रखा है तथा इन कार्यो के टेण्डर करवाए जावें। जो नया सामान खरीदा गया है अधिकांश सामान को स्टाक में इन्द्राज ही नहीं किया गया है । कृपया इन सभी की जांच करवाने की कृपा करे । यह है कि सोनी द्वारा कार्यालय का पुराना सामान, कम्प्यूटर, यू0पी0एस0, पंखे ,फर्नीचर सब को बेच कर पैसा स्वयं की जेब में रखा गया है। जब कि अपलेखन कर नियमानुसार जी0ए0 55 काटकर सामान नीलाम किया जाकर पैसा राजकोष में जमा करवाना था। कृ पया इसकी जांच करवाने की कृपा करें। यह है कि श्री सोनी द्वारा कार्यालय स्टाफ को धमकाकर परेशान कर फर्जी काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, ये हमने देखा है, सुना है तथा यदि कोई कर्मचारी ऐसा नहीं करता है तो उसे रिलीव कर जयपुर भेज दिया जाता है ऐसे कई कर्मचारी हैं जिन्होंने जयपुर की हवा खाई है ओर बेचारे बडा दुखः झेलकर बा मुश्किल कोटा आए हैं। जिन कर्मचारियों ने दबाव में फर्जी कार्य किए हैं वो बेचारे आत्मग्लानि महसूस कर रहे हैं तथा डरे हुए हैं। यह है कि प्रशिक्षण केन्द्र पर वो ही फैकल्टी पढाने आती है जो फैकल्टी इन्हें पैसा देती है। अच्छी फैकल्टी को बुलाया नहीं जाता है। फैकल्टी से पहले पैसे ले लिए जाते हैं बाद में उनके खाते में पैसा जमा करवाया जाता है। अतः माननीय महोदय से हाथ जोडकर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार जांच ए0सी0डी0 से करवाने की कृपा करें, ये सभी उपरोक्त फर्जीवाडे श्री सोनी द्वारा मार्च 2017 से दिसम्बर 2019 तक की अवधि में किए गए हैं इसी अवधि में कार्यालय शिफ्ट किया गया था ।

अतः कृपया इस अवधि की जांच करवाने की कृपा करे। हम सभी प्रशिक्षणार्थी आपके आभारी रहेंगे, हम सभी प्रशिक्षणार्थी इस शिकायत को बिना हस्ताक्षर के आपकी सेवा में भेज रहे है। चूंकि हम प्रोवेशन पीरियड में है। हमको यहां प्रशिक्षण लेना है लगभग हम सभी बाहर के प्रशिक्षणार्थी हैं। कृपया शिकायत को गोपनीय रखते हुए जांच ए0सी0डी0.से करवाने की कृपा करें ।

उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र पर परिवाद शाखा, भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर से परिवाद संख्या 109/2019 दिनांक 25.04.2019 दर्ज कर अग्रिम जांच हेतु मय शिकायती प्रार्थना पत्र की छायाप्रति के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा को प्रेषित किया गया, जिसकी जांच श्री अजीत बगडोलिया पुलिस निरीक्षक द्वारा की गई। शिकायती प्रार्थना पत्र का सत्यापन कर सत्यापन रिपोर्ट जरिये पत्रांक 2157–58 दिनांक 22.12.2021 सें श्रीमान उप महानिरीक्षक–प्रथम, भ्र.नि.ब्यूरो राज. जयपुर को वास्ते धारा 17ए, भ्रष्टाचार (निवारण संशोधन) 2018 के तहत पूर्वानुमोदन हेतु संबंधित विभाग को भिजवाये जाने की अनुशंषा सहित प्रेषित की गई, जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिवाद, राज. जयपुर से जरिये पत्रांक 11837–39 दिनांक 22.12.2022 सें अवगत कराया कि ब्यूरो मुख्यालय पर धारा 17 क के तहत कार्यवाही के संबंध में पूर्वानुमोदन विभागाध्यक्ष सें प्राप्त होने पर शिकायत का परीक्षणोपरांत संबंधित आरोपित के विरूद्ध प्राथमिक जांच दर्ज करने का निर्णय लिया गया है। अतः धारा 17 क भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के तहत विभागाध्यक्ष सें प्राप्त कर अनुमोदन की प्रति भेजकर लेख हैं कि शिकायत में अंकित आरोपित के विरूद्ध प्राथमिक जांच पंजियन रिपोर्ट मय सेवा विवरण सहित प्रा.जा. शाखा को सीधे ही भिजवाये।

पत्र के क्रम में जरिये पत्रांक 162–64 दिनांक 11.01.2023 को प्राथमिक जांच पंजियन रिपोर्ट मय सेवा विवरण सहित प्रा.जा. शाखा को प्रेषित की गई जिस पर प्राथमिक जांच संख्या 04/2013 दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान हेतु पत्रावली मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो कोटा को सुपुर्द की गई। प्राथमिक जांच की जांच के क्रम में अतिरिक्त निदेशक (लेखा) ह.च.मा रीपा, क्षैत्रीय कार्यालय कोटा के कार्यकाल जून 2017 सें 15 फरवरी 2019 तक की अवधि में सामग्री क्रय में की गई अनियमितताओं की जांच करवाने के लिए अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) ह.च.मा रीपा जयपुर के आदेश क्रमांक

एफ1()/संस्था–4 /रीपा/कोटा/निरी/2019/9868 दिनांक 10.07.2019 सें टीम गठित की गई थी, टीम द्वारा शिकायत की जांच कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उक्त जांच रिपोर्ट के क्रम में जांच दल के सदस्यों श्री रामधन मीणा, कनिष्ठ लेखाकार, श्री तुलछाराम चौधरी, अतिरिक्त निदेशक, ईएण्डआर एवं श्री सुरेश कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी, हचमारीपा, राजस्थान जयपुर के बयान लेखबद्ध किये गये।

प्राप्त दस्तावेजों एवं बयानों से पाया गया हैं कि– अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर के आदेश कमांक एफ.1()/संस्था–4/रीपा/कोटा/निरी/2019/9868 दिनांक 10.07.2019 द्वारा श्री गजानन्द सोनी तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक (लेखा) ह.च.मा. रीपा क्षेत्रीय कार्यालय कोटा के जून 2017 से 15 फरवरी 2019 तक के कार्यकाल मे सामग्री क्रय मे अनियमितताओं की जॉच कमेटी श्री तुलछाराम चौधरी अतिरिक्त निदेशक–ई एण्ड एफआर, श्री सुरेश कुमार शर्मा (सहायक लेखाधिकारी–1) तथा श्री रामधन मीणा (कनिष्ठ लेखाकार) से करवायी गई थी, उक्त जॉच कमेटी द्वारा जॉच के पश्चात दी गई रिपोर्ट की प्रति प्राप्त की गई, जिसका विवरण निम्नलिखित है –

अनुच्छेद संख्या 1: फर्नीचर के क्रय पर किया गया अनियमित व्यय राशि रुपए 61,71,339/–

जॉच अवधि 6/17 से 15 फरवरी 2018 के लिए जॉच दल को उपलब्ध करवाये गये रिकार्ड एवं लेखों की जांच में पाया कि निम्न विवरणानसार नवीन भवन हेतु फर्नीचर का क्रय कर फर्मों को भुगतान किया गया है:

क्र. स.	एफवीसी बिल व दिनांक	फर्म का नाम पता	फर्म का बिल न0 दिनांक	क्रय की गई फर्नीचर सामग्री का संक्षिप्त विवरण	राशि
1	203/22. 03.18	गुरूकृपा एन्टरप्राइजेज स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा	01/20. 03.18	वुडन डाइस – 3 कांफ्रेंस हॉल चेयर – 52 ऑफिस अलमिरा – 50 डबल बैड – 8 सिंगल बैड – 32 आदि	12,59,669. 00/
2	उपरोक्त	उपरोक्त	02/20. 03.18	स्टेशन चेयर – 16 आयरन बुक सेल्वस रैक ओपन – 25 लाइब्रेरी स्टॉल चेयर – 120	6,06,263/
3	उपरोक्त	उपरोक्त	03/20. 03.18	स्टॉफ वर्किंग टेबिल–40 रेफ्रीजरेटर फुल साइज डबल डोर – 1 सिंगल डोर – 1 वाटर प्यूरीफायर – 2 नाइट लैम्प – 38 एल.ई.डी टी.वी. – 3	3,75,988/
4	उपरोक्त	उपरोक्त	04/20. 03.18	प्रोजेक्टर सिस्टम ट्रेनिंग क्लास–32	2,34,705/
5	उपरोक्त	महादेव कंस्ट्रक्शन कम्पनी, महावीर नगर कोटा	01/20. 03.18	सोफा सैट – 13 सीटर एग्जीक्यूटिव वुडन टेबिल –6 एयरपोर्ट सोफा – 12 टीकवुड कांफ्रेंस टेबिल–15	4,20,739/
6	उपरोक्त	उपरोक्त	02/20. 03.18	कांफ्रेंस टेबिल – 86 व0फुट चेयर्स एग्जीक्यूटिव – 8 स्पोर्ट्स टेबिल – 1 टेबिल टेनिस – 1 डायनिंग हॉल चेयर्स – 40 विजिटिंग चेयर सिंगल पीस – 30	5,99,600/
7	उपरोक्त	उपरोक्त	0/20. 03.18	कांफ्रेंस हॉल सिस्टम – चेयरमैन यूनिट – 01 डेलिगेट यूनिट – 32 सैक्रेटरी यूनिट – 1 विथ रिकॉर्डिंग एण्ड प्लेबैक फंक्शन विथ ए. सी. आदि	6,34,399/
8	उपरोक्त	उपरोक्त	04/20. 03.18	वुडन आइडल स्टेज – 3 ब्लैक बोर्ड – 3 मैट्रेसेज 4'' थिक – 48 बैडशीट – 40	8,38,176/
9	उपरोक्त	उपरोक्त	05/20. 03.18	फर्नीचर वर्क स्टेशन 90 व.फुट वुडन टेबिल 18'' – 8 बुक सेल्वज – 8 कंप्यूटर टेबिल – 10	7,10,978/

10	उपरोक्त	उपरोक्त	06/20.03.18	पेन्ट्री किचन प्लेट फार्म – 6 वुडन रिशेप्शन काउंटर टेबिल–13 लाइब्रेरी वुडन टेबिल – 4 डायनिंग टेबिल – 10	4,23,070/
11	उपरोक्त	उपरोक्त	07/20.03.18	ट्रेनिंग हॉल मीटिंग अरेंजमेन्ट डेस्क एण्ड चेयर्स कंबाइंड – 21 पीजन लॉक अलमीरा– 4	1,45,000/
				योग 1 से 11 तक घटाइये टीडीएस शुद्ध भुगतान राशि	62,48,592/ 1,24,972/ 61,23,620/
12	उपरोक्त	गुरूकृपा एन्टरप्राइजेज स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा	01/27.03.18	एल.ई.डी. टीवी 32'	28,999/
13	उपरोक्त	महादेव कंस्ट्रक्शन कम्पनी, महावीर नगर कोटा	01/27.03.18	बैडशीट व्हाइट सिंगल बैडशीट – 32 डबल बैडशीट –– 02	18,720/
		कुल योग			61,71,339/

उपरोक्त सामग्री के क्रय संबंधी पत्रावली एवं बिलों की जाँच में निम्न अनियमितताएं पायी गई।

सामग्री क्रय हेतु खुली निविदा प्रक्रिया अपनाते हुए ई–प्रोक्योरमेन्ट के लिए दिनांक 20.2.18 को एन.आई.टी. नं0 01/रीपा/2017–18 पोर्टल पर अपलोढ की गई लेकिन संस्थान ने कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.4(6)फर्नीचर/भण्डार/रीपा/कोटा/ 2017–18/1426 दिनांक 06. 3.2018 के द्वारा यह अंकित करते हुए कि "पोर्टल की तकनिकी त्रुटि के कारण उक्त बिड को क्रियान्वित करना संभव नहीं रहा है। उपापन प्रक्रिया को निरस्त किया जाता है।" (आदेश की फोटो प्रति परिशिष्ट सं0 2 पर संलग्न है।) उपापन प्रक्रिया को निरस्त करके राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 35 एवं नियम 2013 के नियम 28 के तहत प्रतियोगी बातचीत की रीति द्वारा उपापन प्रक्रिया को अपनाते हुए तीन फर्मों से कोटेशन प्राप्त कर फर्नीचन सामग्री क्रय की गई। (क्रय प्रक्रिया संबंधी कार्यालय टिप्पणी एवं फर्म के बिलों की फोटो प्रति परिशिष्ट सं0 4 से 26 पर संलग्न है। इस संबंध में जाँच दल की टिप्पणी है कि:

1. एक बार खुली प्रतियोगी बोली निविदा प्रक्रिया अपना कर पोर्टल पर एनआईटी को अपलोढ करने के बाद उपापन प्रक्रिया को इस आधार पर कि पोर्टल में तकनिकी त्रुटि के कारण उपापन प्रक्रिया को जारी रखा जाना संभव नहीं है। निरस्त किया जाना नियमानुसार उचित नहीं था। उपापन संस्था को एन.आई.सी. से सम्पर्क कर पोर्टल की तकनिकी त्रुटि को दूर करवा कर उपापन प्रक्रिया को जारी रखना चाहिए था। और यदि आवश्यकता थी तो निविदा प्रस्तुत करने एवं खोलने की समयावधि को बढ़ाया जा सकता था। लेकिन संस्थान द्वारा ऐसा कोई प्रयास किया जाना नहीं पाया गया। रांस्थान द्वारा खुली प्रतियोगिता बोली निविदा प्रक्रिया द्वारा फर्नीचर क्रय नहीं कर प्रतियोगी बातचीत की रीति द्वारा फर्नीचर क्रय किया जो नियम विरुद्ध था। नियमानुसार प्रतियोगी बातचीत रीति द्वारा सामग्री एवं सेवा आदि का उपापन केवल किसी अकल्पनीय घटना के घटित होने पर ही किया जा सकता है। फर्नीचर क्रय के समय उपापन संस्था के सामने ऐसी कोई अकल्पनीय घटना की स्थिति नहीं थी। अतः उपापन संस्था को आर.टी.टी.पी. रूल 15, 18 एवं अध्याय 5 के अनुसार खुली प्रतियोगिता बोली द्वारा उक्त सामान क्रय किया जाना चाहिए था। लेकिन संस्था ने खुली प्रतियोगिता से बचने के लिए नियमों की अवहेलना कर गलत उपापन प्रक्रिया अपनाते हुए फर्नीचर क्रय किया। इस प्रकार नियमों की पालना नहीं करने से नियमों के मूल सिद्धान्त पारदर्शिता, मिलव्ययता, साम्य व्यवहार, प्रतिस्पर्धा आदि का गंभीर उल्लंघन किया गया है। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खण्ड दृ प्रथम, भाग–तृतीय के गर्ट–द्वितीय के क्रम सं0 3(च)(2)(ख) पर अंकितानुसार – जब कोई दर संविदा नहीं हो तो कार्यालय अध्यक्ष 20,000/– रुपए तक का फर्नीचर एवं फिक्सचर्स क्रय हेतु सक्षम है। लेकिन अतिरिक्त निदेशक (लेखा) एवं कार्यालय अध्यक्ष ने सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में प्रदत्त शक्तियों से परे जाकर लगभग राशि रुपए 61,71,339/– का फर्नीचर क्रय किया। फर्नीचर के स्पेशिफिकेशन, आइटमों का अनुमोदन सक्षम स्तर से नहीं करवाया गया तथा उक्त फर्नीचर क्रय की सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृ

ति नहीं ली गई। 3. नियमों की अवहेलना कर जो फर्नीचर क्रय किया गया है वह अत्यन्त निम्न स्तर का था। प्रशिक्षण कक्ष 2 एवं 3 का फर्नीचर अत्यन्त ही घटिया श्रेणी का है। उक्त फर्नीचर एल.के.जी. कक्षा से भी निम्न श्रेणी का है। (फर्नीचर के फोटोग्राफ परिशिष्ट संख्या 35 से 47 पर संलग्न है) इस प्रकार नियमों की अवहेलना कर फर्नीचर के क्रय पर किया गया व्यय राशि रुपए 61,71,339/– अनियमित व्यय की श्रेणी में आता है।

अनुच्छेद संख्या 2.– प्रचलित बाजार दरों की तुलना में उँची दरों पर फर्नीचर क्रयकर राजकोष को हानि पहुँचाया जाना राशि रू 30,54,076/रू.

जाच अवधि 4/2017 से 15.02.2019 के लिये जाँच दल को उपलब्ध करवायें गये रिकार्ड एवं लेखों की जाँच में पाया की संस्थान द्वारा नवीन भवन हेतु फर्नीचर क्रय में राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों की पालना नहीं की गयी है। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त निदेशक (बीमा) एवं कार्यालयाध्यक्ष ह.च.मा.रीपा, कोटा का परिशिष्ट संख्या 29 से 29(6) पर संलग्न पत्र क्रमांक–4929–31 दिनांक 18.07.2019 के साथ संलग्न सूची अवलोकनीय है, अतिरिक्त निदेशक (बीमा) एवं कार्यालयाध्यक्ष ह.च.मा.रीपा, कोटा ने नवीन भवन के लिये क्रयकिये गये फर्नीचर रशि रू 62.97 लाख की दरों एवं गुणवता का मूल्यांकन स्थानीय बाजार से Sonu Enterpirese & furniture Decorator, D&9, Deepshree Comple opp- Mult-purpose School Gumanpura Kota से करवाया। तथा उक्त फर्म द्वार की गयी मूल्यांकन रिपोर्ट उपरोक्त पत्र के साथ संलग्न कर भिजवायी है। जो परिशिष्ट संख्या 29 से 29(6) पर पत्र के साथ संलग्न है। फर्म के द्वारा किये गये मूल्यांकन के अनुसार अधिकांश फर्नीचर आईटमों की गुणवता निम्नस्तर की पायी गयी तथा फर्नीचर क्रयमें प्रचलित बाजार दरों की तुलना में राशि रू 3054076/– का अधिक भुगतान करना पाया गया। (अधिक भुगतान का पूर्ण विवरण परिशिष्ट संख्या 29 से 29(6) पर संलग्न फर्म की मूल्यांकन रिपोर्ट में अकिंत है!) GF&AR Volume&1 part&II के नियम 28(III) के अनुसार सामग्री /सेवा/वर्क्स का उपापन करने वाला प्राधिकारी यह देखेगा कि "क्या प्रस्ताव की लागत चालू बाजार दरों की तुलना में युक्तियुक्त तथा अपेक्षित गुणवता के अनुरूप है।" नियम 28(IV) के अनुसार सबसे उपर क्या स्वीकार किया जा रहा प्रस्ताव समस्त सम्बन्धित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये सबसे अधिक उपयुक्त है तथा इन नियमों के भाग– I के नियम 10 में यथाउपबन्धित वित्तीय औचित्य के मानकों को ध्यान में रखते हुए है। GF&AR Volume&1 part&I के नियम 10(1) के अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारी से आशा की जाती है कि लोक निधि से व्यय के सम्बन्ध में वह वैसी ही सर्तकता बरतेगा जो एक साधारण बुद्धि का व्यक्ति अपनी स्वयं की धनराशि के व्यय के सम्बन्ध बरतता है। लेकिन कार्यालय में उक्त नियमों की पालना का अभाव पाया गया। मूल्यांकन रिपोर्ट में अधिकांश सामान भी निम्नस्तर का पाया गया है। इस सम्बन्ध में जाँच दल की टिप्पणी है कि संस्थान द्वारा GF&AR Volume&1 part&II के नियम 4 एवं 5(ख) के अनुसार सामान का निरीक्षण किसी तकनिकी अधिकारी से करवाकर उसकी गुणवता की रिपोर्ट नहीं ली गयी है। नियम 5(4) के अनुसार निरीक्षण प्राधिकारी एवं केता अधिकारी एक ही व्यक्ति नहीं होगा तथा तीस हजार रूपये से अधिक मूल्य के सामान के मामले में वरिष्ठ अधिकारीयों की एक समिति द्वारा निरीक्षण किया जाना चाहिए। तकनिकी प्रकृति के सामान जिसके लिये विशेषज्ञ ज्ञान/परामर्श की आवश्यकता हों, का निरीक्षण तकनिकी अधिकारी के साथ किया जायेगा। जिसे समिति में सहयोजित किया जायेगा लेकिन इस संस्थान द्वारा उक्त नियमों की पालना का अभाव पाया गया। कार्यालय द्वारा आदेश क्रमांक–एफ4(6)न.भ. /फर्नीचर/भण्डार/रीपा/कोटा/2017–18 /1093 दिनांक 08.01.2018 के द्वारा उपापन प्रक्रियाओं को निष्पादित करने के लिये गठित समिति में जिला उद्योग अधिकारी को भी बतौर सदस्य शामिल किया था। लेकिन उपापन प्रकिया के किसी भी स्तर पर उद्योग अधिकारी को नहीं बुलाया गया इस प्रकार सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा RTTP नियमों की अवहेलना कर निम्न स्तर की गुणवता का फर्नीचर प्रचलित बाजार दरों से अधिक दरों पर क्रयकर राजकोष को लगभग राशि रू 30,54,076/– की हानि पहुंचाया जाना प्रतीत होता है।

अनुच्छेद संख्या–3 प्रशिक्षणार्थीयों को अनाधिकृत रूप से हॉस्टल में ठहराकर रिकार्ड संधारण का अभाव एवं बिना सक्षम स्वीकृति प्राप्त कियें ठेकेदार से हॉस्टल एवं मैस संचालन हेतु एम.ओ.यू. किया जाना –

दिनांक 08.01.2019 से 09.01.2019 तक जाँच दल द्वारा क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र कोटा का निरीक्षण करने पर कनिष्ठ लेखाकार बैच–7 के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहें प्रशिक्षणार्थीयों को अनाधिकृत रूप से हॉस्टल में रहना पाया गया। कनिष्ठ लेखाकारों का उक्त प्रशिक्षण गैर आवासीय था। जिसमें प्रशिक्षणार्थीयों को अपने स्वयं के रहने एवं खाने की व्यवस्था करनी थी। लेकिन प्रशिक्षण केन्द्र कोटा में पाया की प्रशिक्षणार्थीयों को अनाधिकृत रूप से परिसर में स्थित हॉस्टल में ठहराया गया , तथा प्रक्षिणार्थीयों के हॉस्टल में रहने का एवं मैस शूल्क भी लिया गया है। जिसका कहीं भी लेखा जोखा नहीं रखा गया उक्त निरीक्षण के समय पाया की प्रशिक्षणार्थीयों से अनाधिकृत रूप से बिना रसीद

काटे प्रति प्रशिक्षणार्थी 3850/–रू चार्ज किये, जबकि इस प्रकार राशि चार्ज करने के कोई आदेश नहीं थे। इस प्रकार कुल राशि रू 2,38,700रू– प्रशिक्षणार्थीयों से अनाधिकृत रूप से वसूल किये गये जिसकी कोई ना तो रसीद काटी गयी तथा ना ही कैश बुक में इन्द्राज किया गया। इस प्रकार उक्त राशि का अनाधिकृत रूप से वसूल किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता हैं सभी प्रशिक्षणार्थीयों द्वारा इस सम्बन्ध में की गयी शिकायत की प्रति परिशिष्ट संख्या 27 से 27 (1) पर संलग्न है। कोटा क्षेत्रीय कार्यालय के कनिष्ठ लेखाकार सुश्री संगीता सामरिया द्वारा सामग्री क्रयमें अनियमितताओं के सम्बन्ध में दिनांक 15.07.2019 को जाँच दल को दी गयी रिपोर्ट में भी उन्होने इसका उल्लेख किया है। कि श्री गजान्नद सोनी अति.निदेशक (लेखा) ने उनको एवं श्री अंकित पोरवाल कनिष्ठ सहायक को हॉस्टल व मैस का शूल्क क.लेखाकार प्रशिक्षुओं से एकत्रित करने के निर्देश दिये जिसे करने से उन्होने इनकार कर दिया (रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट संख्या 30 से 30(1) पर संलग्न है) दिनांक 08.01.2019 व 09.01.2019 को जाँच दल के निरीक्षण के समय प्रशिक्षणार्थीयों द्वारा यह भी शिकायत की गयी की कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पद का रौब दिखाकर सभी प्रशिक्षणार्थीयों को बताया गया की अगर उन्हें हॉस्टल में रहना है। तो मैस में खाना खाना ही पड़ेगा, जिसके लिये उनके द्वारा प्रति व्यक्ति से 220/–रू नास्ता, चाय एवं दोनों समय के खाने के लिये राशि जमा कराने हेतु दबाव डाला गया। प्रशिक्षणार्थीयों के विरोध पर 75/–रू प्रति डाईट निर्धारित कि गयी जिसमें चाय व नास्ता सम्मिलित नहीं था लेकिन उक्त चार्जज किन नियमों के अर्न्तगत लिये गये, सक्षम अधिकारी की कोई अनुमति भी नहीं थी। जो ठेकेदार था वह नियमों के अर्न्तगत अधिकृत नहीं था। केवल मनमर्जी से नियमों को ताक में रखते हुये अनाधिकृत व्यक्ति को मैस का ठेका दिया गया था। इस प्रकार नियम विरूद्ध मैस राशि वसूल की जा रही थी। प्रशिक्षणार्थीयों द्वारा की गयी शिकायत की प्रति परिशिष्ट संख्या 27 से 27(1) पर संलग्न हैं। दिनांक 08.01.2019 एवं 09.01.2019 को जाँच दल द्वारा किये गये निरीक्षण की प्राथमिक जाँच रिपोर्ट परिशिष्ट संख्या 28 से 28(2)पर संलग्न है। दिनांक 15. 07.2019 को जाँच दल के निरीक्षण के समय संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाये गये रिकॉर्ड की जाँच में पाया की श्रा गजानंद सोनी तत्कालीन अति.निदेशक(लेखा) व श्री भगवती लाल शर्मा निजी सहायक ह.च.मा. रीपा कोटा, ने नियमानुसार प्रक्रिया अपनाये बिना ही संतोष कुमार राय, तेजस्विनी विकास संस्थान जयपुर के साथ मैस एवं हॉस्टल संचालन के सम्बन्ध में बिना स्टाम्प पेपर के दिनांक 06. 11. 2017 को एवं स्टाम्प पेपर पर दिनांक 14.05.2018 को एम.ओ.यू. किया है। उक्त एम.ओ.यू. सम्बन्धित पत्रों की जाँच में पाया कि माह मई 2018 में खरीदे गये स्टाम्प पेपर पर पीछे की । तारिख 6 नवम्बर 2017 में उक्त एम.ओ.यू. सम्पादित किया गया है। एम.ओ.यू. करने से सम्बन्धित कार्यालय टिप्पणी एवं सम्बन्धित रिकार्ड की फोटो प्रति परिशिष्ट संख्या 48 से 50(7) पर संलग्न है। दिनांक 08.01.2019 एवं 09.01.2019 को जाँच दल के निरीक्षण के समय उक्त एम.ओ.यू. जाँच हेतु जाँच दल को उपलब्ध नहीं करवाया गया था। जिससे स्पष्ट है कि दिनांक 09.01.2019 तक उक्त एम.ओ.यू.सम्पादित नहीं किया गया था। उक्त एम.ओ.यू. दिनांक 09.01.2019 के पश्चात पिछली दिनांक में जाँच दल के निरीक्षण के बाद वित्तीय अनियमितताओं एवं आरोपों से बचने के लिये बनावटी तैयार किया गया प्रतीत होता है। दिनांक 06.11.2017 को एम.ओ.यू. किया गया होता तो दिनांक 06.11.2017 या उससे पूर्व की दिनांक में खरीद गये स्टाम्प पेपर पर होता तथा दिनांक 08.01.2019 से 09.01.2019 के नरीक्षण के समय जाँच दल को प्रस्तुत किया जाता, पत्रावली की जाँच में पाया कि उक्त एम.ओ.यू. करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति भी नहीं ली गयी है। कार्यालय टिप्पणी क्रमांक 20/N(10) में अंकित अनुसार ट्रस्टी तेजस्विनी विकास संस्थान सोडाला जयपुर के द्वारा ह.च.मा.रीपा कोटा को रू 25,000/– वार्षिक दर से राजकोष में जमा करवाना था लेकिन उक्त राशि राजकोष/कार्यालय में जमा होना सत्यापित नहीं होता है।
उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि तत्कालीन अति.निदेशक (लेखा) आर.टी.सी. कोटा ने बिना सक्षम स्वीकृति प्राप्त किये प्रशिक्षणार्थी कनि.लेखाकारों को अनाधिकृत रूप से हॉस्टल में रखा तथा अनाधिकृत रूप मैस का भी संचालन किया जो एक गम्भीर अनियमितता है।

अनुच्छेद संख्या 4:–सीसीटीवी कैमरे आदि के क्रयपर किया गया अनियमित व्यय राशि रूपये 49945/–

जांच अवधि 06/2017 से 15.07.2019 के लिये जाँच दल को उपलब्ध करवाये गये रिकार्ड एवं लेखों की जाँच में पाया कि निम्न विवरणानुसार सीसीटीवी कैमरों के क्रयपर राशि व्यय कि गयी है। :

क्र.स.	एफवीसी बिल व दिनांक	फर्म का नाम पता	फर्म का बिल न0 दिनांक	क्रय की गई फर्नीचर सामग्री का संक्षिप्त विवरण	राशि
1	49/28.06.2018	Sawant infotech	333/20.03.18	डीवीआर सैट 2 एमपी एचडी, बुलेट टू एमपी कैमरा,	49,945

		Tirath Plaza Shopping Centre Kota		पावर सप्लाई 8 चै. केबिलिग विद वायर फिटिंग, एचडी एमआई केबल, यूएसडी केबिल, माउस वायरलैस, इलेक्ट्रिक बॉक्स आदि	

.. उक्त व्यय संबंधी वाउचरों की जांच में निम्न अनियमितताएं पाई गईः सीसीटीवी कैमरे न्यू आइटम में आते हैं इनके लिए बजट स्वीकृत नहीं था। फिर भी प्रशिक्षण मद में बिना सक्षम स्वीकृति के उक्त उपकरण खरीदे गये। इस प्रकार बिना सक्षम स्वीकृति प्राप्त किये बजट स्वीकृत नहीं होते हुए भी प्रशिक्षण मद से सीसीटीवी कैमरे क्रय किया जाना एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है। (एफवीसी बिल एवं फर्म के बिल की फोटो प्रति परिशिष्ट सं0 32 से 33(3) पर संलग्न है।)

अनुच्छेद संख्या 5 कनिष्ठ लेखाकार प्रशिक्षणार्थियों को दो पारी में चाय दिये जाने हेतु किया गया अनियमित व्यय राशि रू0 69,904/

जांच अवधि 6/2017 से 15.02.19 के लिए जांच दल को उपलब्ध करवाये गये रिकार्ड एवं लेखों की जांच में पाया कि निम्न विवरणानुसार प्रशिक्षाणार्थियों को चाय दिये जाने पर राशि व्यय की गई है –

क. स.	एफवीसी बिल व दिनांक	फर्म का नाम पता	फर्म का बिल न0 दिनांक	क्रय की गई फर्नीचर सामग्री का संक्षिप्त विवरण	राशि
1	100/23.08.18	संतोष कुमार टी स्टॉल, कोटा	303/15.06.18	11.6.18 से 15.6.18 की अवधि चाय 50×02×5×8	4,000/
2	126/04.10.18		322/27.7.18	23.7.18 से 27.7.18 को अवधि चाय 83×02×5×8	6,640/
3	160/29.11.18		319/27.7.18	25.6.18 से 27.7.18 की अवधि चाय@8/7840/	31,696/
4	161/29.11.18		345/27.9.18	13.8.18 से 23.8.18 की अवधि चाय 980×8 . 7,840/ 24.8.18 से 31.8.18 की अवधि चाय 940×8 7520/ 3.9.18 से 17.9.18 की अवधि चाय 760×8 6,080/ 18.9.18 से 27.9.18 की अवधि चाय 766×8 6,128/	27,568/
				कुल योग राशि रू0	69,904/

उक्त व्यय की जांच में पाया कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई हैं। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 24 के अनुसार उक्त व्यय नियमानुसार कोटेशन प्राप्त कर दरें एवं फर्म का निर्धारण कर किया जाना चाहिए था लेकिन कार्यालय द्वारा ऐसा नहीं किया जा कर अपनी मनमर्जी से किसी से भी चाय मंगवा कर नियमों की अवहेलना कर चाय के बिलों का भुगतान किया गया है। इस प्रकार चाय क्रय किये जाने से प्रतियोगी दरों का लाभ प्राप्त नहीं हो राका। इस प्रकार नियमों की अवहेलना कर किया गया व्यय अनियमित व्यय की श्रेणी में आता है तथा वित्तीय अनियमितता है।

अनुच्छेद संख्या 6 फर्नीचर क्रय पर काटे गये टीडीएस की राशि आयकर विभाग में जमा करवाये जाने का अभाव राशि रू0 1,24,972/

जांच अवधि 6/17 से 15.2.19 के लिए जांच दल को उपलब्ध करवाये गये रिकार्ड एवं लेखों की जांच में पाया कि फीचर क्रय पर फर्मो से प्राप्त बिलों की राशि पर 2 प्रतिशत टीडीएस की कटौती की गई है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

क. स.	एफवीसी बिल व दिनांक	फर्म का नाम पता	फर्म का बिल न0 दिनांक	फर्म के बिलों की कुल राशि	काटा गया 2 प्रतिशत टीडीएस	फर्म को शुद्ध भुगतान की गई राशि

1	203/ 22.03. 2018	गुरूकृपा एन्टरप्राइजेज स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा	01/20.03.18 02/20.03.18 03/20.03.18 04/20.03.18	24,76,630/–	49,533/–	24,27,097/–
2	203/ 22.03. 2018	महादेव कंस्ट्रक्शन कम्पनी, महावीर नगर कोटा	01/20.03.18 02/20.03.18 03/20.03.18 04/20.03.18 05/20.03.18 06/20.03.18 07/20.03.18	37.71,962/–	75,439/–	36,96,523/–
		योग रू0		62,48,592/–	1,24,972/–	61,23,620/–

उपरोक्त, विवरण में अंकितानुसार फर्मों के बिलों से टीडीएस कटौती की गई है लेकिन उक्त काटी गई टीडीएस की राशि को आयकर विभाग में जमा करवाने का कोई विवरण पत्रावली में नहीं पाया गया। इस प्रकार टीडीएस की कटौती कर आयकर विभाग में जमा नहीं करवाया जाना एक गंभीर अनियमितता है।

अनुच्छेद सं0 7 लेखन सामग्री आदि के क्रय पर किया गया अनियमित व्यय राशि रु० 78,269/

जांच अवधि 6/17 से 15.2.19 के लिए जांच दल को उपलब्ध करवाये गये रिकार्ड एवं लेखों की जांच में पाया कि निम्नलिखित बिलों के द्वारा फर्मों से उनके सामने अंकित राशि की लेखन : सामग्री आदि क्रय की गई:

ए– वित्तीय वर्ष 2018–19

क्र. स.	एफवीसी बिल व दिनांक	फर्म का नाम पता	फर्म का बिल न0 दिनांक	क्रय की गई लेखन सामग्री की राशि	विशेष विवरण
1	27/21.05.18	रजत स्टोर, नयापुरा, कोटा	995/4.5.18	6635/	–
2	54/3.07.18		1551/31.5.18	8000/	–
3	62/12.07.18		1541/25.5.18	5780/	–
4	174/18.12.18		2634/14.12.18	8310/	–
5	228/26.03.19	मैसर्स सुरेश स्टोर नयापुरा कोटा	852/25.03.19	2805/	–
6	234/27.03.19	रजत स्टोर, नयापुरा, कोटा	3502/6.12.18	3730/	–
7	240/28.03.19	मैसर्स सुरेश स्टोर नयापुरा कोटा	865/27.3.19	3535/	–
8	69/20.07.18	रजत स्टोर, नयापुरा, कोटा	1563/6.6.18	5600/	–
9	110/10.09.18	रजत स्टोर, नयापुरा, कोटा	2080/30.8.18	4850/	–
10	229/26.03.19	मैसर्स सुरेश स्टोर नयापुरा कोटा	844/15.3.19	5400/	–
11	230/26.03.19	मैसर्स सुरेश स्टोर नयापुरा कोटा	848/18.3.19	5400/	–
		(ए) योग		60,045/	–

बी–– वित्तीय वर्ष 2017–18

क्र. स.	एफवीसी बिल व दिनांक	फर्म का नाम पता	फर्म का बिल न0 दिनांक	क्रय की गई लेखन सामग्री की राशि	विशेष विवरण
1	164/1.02.18	मैसर्स सुरेश स्टोर नयापुरा कोटा	138/16.1.18	1028/	–
2	28/29.06.17		1812/5.6.17	2000/	–
3	81/17.9.17		1904/5.8.17	2000/	–
4	84/6.10.17		1970/26.9.17	4226/	–

5	89 / 6.10.17		1953 / 8.09.17	1000 /	–
6	142 / 28.12.17		0048 / 30.11.17	4720 /	–
7	174 / 19.02.18		167 / 4.2.18	3250 /	–
		(बी) योग वर्ष 17–18		18224 /	
		कुल योग (ए + बी)		78269 /	

उपरोक्त विवरण में अंकितानुसार लेखन सामग्री आदि क क्रय पर वित्तीय वर्ष 2017–18 में राशि रु0 18224 / – तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि रु0 60045 / – व्यय की गई है। उक्त सामग्री बिना निविदा प्रक्रिया अपनाए खुले बाजार से निजी फर्मों से क्रय की गई है। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खण्ड प्रथम भाग द्वितीय के नियम 30 के अनुलग्नक "क" एवं वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ.1(8)एफडी / जीएफएण्डएआर / 2011 दिनांक 4.9. 13 के द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियमों में सामग्री, सेवा, एवं वर्क्स के चुनिंदा आइटमों को बिना निविदा उपापन हेतु दरें एवं स्त्रोत निर्धारित किये गये हैं। उक्त नियमों के अनुसार लेखन सामग्री की वस्तुओं का क्रय राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ (कॉन्फेड) की खुदरा दुकानों और उपभोक्ता संघ के अधीन सहकारी थोक उपभोक्ता भण्डारों, उपहार समृद्धि, सुपर बाजार, नई दिल्ली तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की अमृता सोसायटी से बिना निविदा क्रय किया जा सकता है। लेकिन कार्यालय द्वारा लेखन सामग्री उक्त उपापन स्त्रोतों से क्रय नहीं कर बिना निविदा के निजी फर्मों से क्रय की गई है जो स्पष्ट रूप से सामान्य वित्तीय – एवं लेखा नियमों तथा वित्त विभाग के आदेशों की अवहेलना है। इस प्रकार नियमों की अवहेलना कर लेखन सामग्री के क्रय पर किया गया व्यय अनियमित व्यय की श्रेणी में आता है। **अनुच्छेद संख्या 8 – पेड़ पौधे लगवाने एवं बागवानी आदि कार्यो पर किया गया अनियमित व्यय राशि रू 1,50,803 / – रू.**

जाँच अवधि 06 / 2017 से 15.02.2019 के लिये जाँच दल को उपलब्ध करवायें गये रिकॉर्ड एवं लेखों की जाँच में पाया कि संस्थान में पेड़–पौधे लगवाने तथा बागवानी आदि के कार्य पर निम्नानुसार राशि व्यय कि गयी है:

क्र. स.	एफवीसी बिल व दिनांक	फर्म का नाम पता	फर्म का बिल न0 दिनांक	करवाये गए कार्य / क्रय की गयी सामग्री का संक्षिप्त विवरण	राशि
1	42 / 14.6.18	रामराज मेघवाल कोटा	73 / 7.6.18	खाद गौबर का व डीएपी–2000 किराया–1000	3000 /
2	42 / 14.6.18	रामराज मेघवाल कोटा	72 / 6.6.18	पौधे गुलमोहर, अशोक व अन्य पौधे बड़ी	9600 /
3	43 / 14.6.18	रामराज मेघवाल कोटा	71 / 5.6.18	मिट्टी की ट्रोली 2×2000–4000 / पौधे के खड्डे ड्रिल मशीन स 50 खड्डे 3500 /	7500 /
4	43 / 14.6.18	रामराज मेघवाल कोटा	70 / 5.6.18	पौधे लगायी व अन्य सफाई मजदुरी 24×400=9600 /	9600 /
5	60 / 12.7.18	M/S Jai Bisotimaa kota	57 / 9.7.18	गुलाब ईगंलिस बड़ी थैली 600×60=3600, मनी पलान्ट बडी थैली 6×80=480 मोर पंखी बड़ी 13×100=1300 बेलदार की हाजरी 11×350=3850	9230 /
6	60 / 12.7.18	M/S Jai Bisotimaa kota	57 / 9.7.18	बड़े घमले व पौधे इन्डोर पंलान्ट बड़ी 30×325=9750	9750
7	60 / 12.7.18	M/S Jai Bisotimaa kota	57 / 9.7.18	चांदनी के पौधे, गुलाब देसी , गुलाब ईगंलिस, घमले आदि	9095
8	60 / 12.7.18	M/S Jai Bisotimaa kota	57 / 9.7.18	मिट्टी की ट्रोली 2×1500	6600

				आम के, ऑवले, अन्नार के पौधे आदि बेलदार की मजदूरी गड्ढे आदि	
9	169/6.12.18	M/S Jai Bisotimaa kota	70/30.11.18	मोगरा, बिलपत्र, अनार, चन्दनी, अमरूद, मीठानीम, आदि पौधे, खाद डीएपी देसी खाद के कट्टे व बेलदार की मजदूरी व ऑटो किराया	4350
10	118/18.9.18	M/S Jai Bisotimaa kota	61/8.8.18	मिट्टी की ट्रोली 3×1500 बडी साईज, परमल पीपल, मजदूरी लेबर आदि	9850/
11	108/10.9.18	M/S Jai Bisotimaa kota	62/7.9.18	माह अगस्त 2018 में बागवानी का कार्य	6058
12	135/11.10.18	M/S Jai Bisotimaa kota	65/5.10.18	माह सितम्बर 2018 में बागवानी का कार्य	6058
13	150/12.11.18	M/S Jai Bisotimaa kota	69/1.11.18	माह अक्टूबर 2018 में बागवानी का कार्य	6058
14	169/6.12.18	M/S Jai Bisotimaa kota	71/1.12.18	माह नवम्बर 2018 में बागवानी का कार्य	6058
15	183/3.1.19	M/S Jai Bisotimaa kota	72/1.1.19	माह दिसम्बर 2018 में बागवानी का कार्य	6058
16	207/13.2.19	M/S Jai Bisotimaa kota	74/4.2.19	माह जनवरी 2019 में बागवानी का कार्य	6058
17	214/13.3.19	M/S Jai Bisotimaa kota	5/5.3.19	माह फरवरी 2019 में बागवानी का कार्य	6058
18	6/10.4.18	M/S Jai Bisotimaa kota	74/4.2.19	माह मार्च 2018 में बागवानी का कार्य	5902
19	19/8.5.18	M/S Jai Bisotimaa kota	54/6.5.18	माह अप्रेल 2018 में बागवानी का कार्य	5902
20	37/7.6.18	M/S Jai Bisotimaa kota	55/4.6.18	माह मई 2018 में बागवानी का कार्य	5902
21	53/3.7.18	M/S Jai Bisotimaa kota	56/2.7.18	माह जून 2018 में बागवानी का कार्य	5902
22	79/3.8.18	M/S Jai Bisotimaa kota	58/1.8.18	माह जुलाई 2018 में बागवानी का कार्य	5902
				कुल योग	150803/

उपरोक्त विवरण में अंकितानुसार पेड़ पौधे लगाने एवं बागवानी आदि के कार्य पर वित्तीय वर्ष 2018–19 में राशि रू 150803/– व्यय की गयी है। उक्त व्यय सम्बन्धी वॉउचरों की जाँच में निम्न अनियमिततायें पायी गयी:

1. संस्थान द्वारा उक्त कार्य राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 24 के अनुसार कोटेशन के लिये अनुरोध पद्धति से करवाना चाहिये था। लेकिन संस्थान ने निविदा प्रक्रिया से बचने के लिये टुकड़ो में उक्त कार्य बिना निविदा प्रक्रिया अपनाये किया गया। जो नियमों की अवहेलना है।
2. क्रयकी गयी समग्री जैसे मिट्टी की ट्रोली, पेड़–पौधे, खाद आदि का भण्डार पंजिकाओं में इन्द्राज का अभाव पाया गया। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खण्ड–प्रथम भाग–द्वितीय के नियम 4 एवं 7 के अनुसार क्रयकी गयी सामग्री का उपयुक्त भण्डार पंजिकाओं में इन्द्राज किया जाना आवश्यक है।
3. मिट्टी की ट्रोली कभी 2000 रू प्रति ट्रोली तथा कभी 1500 रू प्रति ट्रोली क्रयकी गयी है। जैसे उपरोक्त विवरण में अंकिता अनुसार दिनांक 05.06.2018 को ट्रोली 2000 रू प्रति ट्रोली तथा दिनांक 08.08.2018 को 1500 रू तथा दिनांक 30.10.2018 को 1500 रू प्रति ट्रोली क्रयकी गयी है। दरों में अन्तर का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। तथा क्रयमें प्रचलित बाजार दरों का ध्यान नहीं रखा गया है।

इस प्रकार नियमो का अवहेलना कर पेड़–पोधो को लगवाने व बागवानी पर किया गया अनियमित व्यय की श्रेणी में आता है।

अनुच्छेद संख्या 9 रिकार्ड एवं लेखा संधारण में पाई गयी अन्य अनियमितताएं:

जाँच अवधि 06/2017 से 15.02.2019 के लिये जाँच दल को उपलब्ध करवाये गये रिकार्ड एवं लेखों की जाँच में पाया की : –

कई महत्वपूर्ण पंजिकाओं जैसे डीडी/चैक/मनीऑर्डर इत्यादि के प्रेषण की पंजिका, ट्रंककाल रजिस्टर, आकस्मिक व्यय पंजिका, सेवा पुस्तिकाध्पंजिका रजिस्टर, यात्रा भत्ता बिल रजिस्टर तथा अन्य कई लेखा सम्बन्धि महत्वपूर्ण पंजिकाओं का संधारण कार्यालय में नहीं किया जा रहा है। भण्डार पंजिकाओं की जाँच में पाया की स्थाई प्रकृति की सामग्री को अस्थाई/ लेखन सामग्री पंजिका में दर्ज कर कार्यालय के अधिकारीयों/कर्मचारियों को जारी करना बताकर शेष शून्य कर दिया जाता है। उदाहरणार्थ मार्च 2018 में 3 लेपटॉप प्राप्त हुए उन्हें श्री गजानन्द सोनी, श्री भगवती लाल शर्मा एवं सुश्री संगीता सामरिया को जारी करना बताकर से शून्य कर दिया गया इसी प्रकार कई अन्य आईटम जैसे प्रिन्टर आदि ।(उक्त सामानों की स्टॉक प्रविष्टी सम्बन्धि स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ की फोटो प्रति परीशिष्ट संख्या 34 से 34(3) पर संलग्न है)। स्थाई सामग्री भण्डार पंजिकाओं में कई मामलों में सामग्री की प्राप्ति एवं निर्गम की प्रविष्टीयों पर भण्डार अधिकारी द्वारा निर्धारित कॉलम में हस्ताक्षर करना नहीं पाया गया। स्थाई सामग्री भण्डार पंजिका में स्थाई प्रकृति के सामानों का इन्द्राज करते समय सामान की श्रेणी, पहचान चिन्ह, सामग्री का पूर्ण विवरण (Full Specification) आदि अंकित नहीं किया जाता है। स्थाई सामग्री भण्डार पंजिकाओं कि जाँच में पाया की अधिकांश सामग्री को दिनांक 09.03.2018 को प्राप्त होना दर्शाया गया है। सामान किस आदेश क्रमांक दिनांक द्वारा, किस फर्म से, किस बिल/इनवाइस द्वारा क्रयध्प्राप्त किया गया कोई विवरण स्थाई सामग्री भण्डार पंजिका में अंकित नहीं किया गया । स्थाई सामग्री भण्डार पंजिका के कॉलम संख्या 6 में प्रत्येक लेन–देन के बाद का शेष अंकित नहीं किया जाता है। (नमूने के बतौर स्थाई स्टॉक रजिस्टर के कुछ पृष्ठों की फोटो प्रतियाँ परिशिष्ट संख्या 34 से 34(79) पर संलग्न है)

दिनांक 08.01.2019 एवं 09.01.2019 को जाँच दल के निरीक्षण के दौरान भी पाया गया था कि विश्रान्ति गृह एवं उसमें संचालित मैस का पूर्ण रख–रखाव का कार्य अनाधिकृत एवं नियम विरूद्ध निजी व्यक्ति को दिया हुआ है। उक्त निरीक्षण के दौरान संपूर्ण परिसर की चाबियां कथित वकील ने अपने पास से उपलब्ध करायी, मैस के समस्त सामान यथा फ्रीज आदि का उपयोग भी इस निजी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था। (उक्त जाँच रिपोर्ट की फोटो प्रति परिशिष्ट संख्या 28 से 28(2) पर

जाँच निष्कर्ष – जाँच दल द्वारा अतिरिक्त निदेशक (लेखा) एवं कार्यालयाध्यक्ष ह.च.मा.रीपा कोटा श्री गजानन्द सोनी के कार्यकाल जून 2017 से 15.2.2019 तक की अवधि में सामग्री क्रय से सम्बन्धित रिकार्ड एवं लेखों की जाँच कि गयी एवं जाँच में पाया कि:–

1. नवीन भवन हेतु लगभग 61.71 लाख का फर्नीचर क्रय किया गया, उक्त फर्नीचर क्रय में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा राजस्थान राज्य लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों की अवहेलना कर उक्त फर्नीचर खुली प्रतियोंगी बोली के बजाय प्रतियोगी बातचीत की रीति से क्रय किया गया हैं, जो पूर्णतः नियम विरूद्ध हैं। इस प्रकार नियमों की अवहेलना कर फर्नीचर क्रय पर राशि रू 61.71 लाख का अनियमित व्यय किया गया है।
2. नवीन भवन हेतु फर्नीचर प्रचलित बाजार दरों की तुलना में अधिक दरों पर क्रयकर राशि रू 30,54,076/– का फर्मो को अदेय/अधिक भुगतान कर राजकोष को हानि पहुचाया जाना प्रतीत होता हैं।
3. क्रयकिये गये फर्नीचर की गुणवता की जाँच किसी तकनीकि अधिकारी से करवाकर निरीक्षण रिपोर्ट नहीं ली गयी है। अनुच्छेद 2 में अंकित विवरणानुसार वर्तमान कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उक्त फर्नीचर का स्थानीय बाजार से करवाये गये मूल्यांकन में अधिकांश फर्नीचर निम्नस्तर का पाया गया है। जाँच दल के निरीक्षण में भी पाया गया की प्रशिक्षण कक्ष 2 एवं प्रशिक्षण कक्ष 3 का फर्नीचर अत्यन्त ही घटिया श्रेणी का है। उक्त फर्नीचर एलकेजी से भी निम्न श्रेणी का है।
4. कनिष्ठ लेखाकार बैच 7 का प्रशिक्षण गेर आवासीय था लेकिन उक्त प्रशिक्षणार्थीयों को अनाधिकृत रूप से हॉस्टल में ठहराकर प्रशिक्षणार्थीयों से रहने एवं मैस शुल्क भी लिया गया। प्रशिक्षणार्थीयों से अनाधिकृत रूप से बिना रसीद काटे प्रति प्रशिक्षणार्थी 3850 रू वसूल किये गये, इस प्रकार राशि चार्ज किये जाने के कोई आदेश नहीं थे। इस प्रकार कुल 2,38,700 रू लगभग प्रशिक्षणार्थीयों से अनाधिकृत रूप से वसूल किये गये जिनकी ना तो कोई रसीद काटी गयी तथा ना ही कैश बुक में इन्द्राज किया गया। इस प्रकार प्रशिक्षणार्थीयों से अनाधिकृत रूप से राशि वसूलकर उसका कोई लेखा जोखा नहीं रखा जाना एक अत्यन्त गंभीर वित्तीय अनियमितता है। संस्थान द्वारा सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही ठेकेदार से हॉस्टल एवं मैस संचालन हेतु नियम विरूद्ध एम.ओ.यू. किया गया।

5. सीसीटीवी कैमरे न्यू आइटम थे, उक्त सीसीटीवी कैमरे के क्रय हेतु का प्रावधान उपलब्ध नहीं था। बिना बजट प्रावधान के तथा बिना सक्षम स्वीकृति प्राप्त किये उक्त सी.सी.टी.वी. कैमरे प्रशिक्षण मद में अनियमित रूप से क्रय किये गये जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों की स्पष्ट अवहेलना है, तथा गंभीर वित्तीय अनियमितता है। अनियमितता का पूर्ण विवरण अनुच्छेद संख्या 4 में अंकित है।
6. प्रशिक्षणार्थीयों को चाय देने हेतु किये गये व्यय में भी राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों की पालना का अभाव पाया गया।
7. कार्यालय में रिकार्ड एवं लेखो का संधारण अपूर्ण एवं नियमानुसार नहीं पाया गया। भण्डार पंजिकाओं में स्थाई प्रकृति की सामग्री को अस्थाई / लेखन सामग्री पंजिका में दर्ज करना पाया गया। स्थाई सामग्री को भी विभिन्न अधिकारीयों / कर्मचारियों को जारी करना बताकर शेष शून्य कर दिया जाता है। रिकार्ड संधारण में पायी गई अनियमितताओं का पूर्ण विवरण अनुच्छेद संख्या 9 में अंकित है।
8. लेखन सामग्री क्रय एवं पेड–पौधे लगाने तथा बागवानी संबंधी कार्यों हेतु किये गये व्ययों में नियमों की पालना का अभाव तथा अनियमितताएँ पायी गई, जिनका पूर्ण विवरण अनुच्छेद सं0 7 एवं 8 में अंकित है।
9. फर्नीचर क्रय पर फर्मों के बिलों से काटे गये टीडीएस की राशि को आयकर विभाग में जमा करवाने का अभाव पाया गया। जिसका पूर्ण विवरण अनुच्छेद सं0 6 में अंकित है। दिनांक 15.7.2019 को जाँच के दौरान कार्यालय में पदस्थापित सुश्री संगीता सामरिया, कनिष्ठ लेखाकार एवं श्री मुकेश कुमार शर्मा, वरिष्ठ सहायक ने भी अनियमितताओं के संबंध में जांच दल को रिपोर्ट प्रस्तुत की है

अतः उपरोक्त जांच एवं बयानों से पाया गया हैं कि अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर के द्वारा श्री गजानन्द सोनी तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक (लेखा) ह.च.मा. रीपा क्षेत्रीय कार्यालय कोटा के जून 2017 से 15 फरवरी 2019 तक के कार्यकाल मे सामग्री क्रय मे अनियमितताओं की जॉच करवाई गई। जॉच रिपोर्ट के अनुसार श्री गजानन्द सोनी तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक (लेखा) ह.च.मा. रीपा क्षेत्रीय कार्यालय कोटा द्वारा हरिशचन्द्र माथुर रीपा क्षेत्रीय कार्यालय कोटा के नवीन भवन हेतु लगभग 61.71 लाख का फर्नीचर क्रय किया गया, उक्त फर्नीचर क्रय में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा राजस्थान राज्य लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों की अवहेलना कर उक्त फर्नीचर खुली प्रतियोंगी बोली के बजाय प्रतियोगी बातचीत की रीति से क्रय किया गया हैं, जो पूर्णतः नियम विरूद्ध पाया गया है तथा नियमों की अवहेलना कर फर्नीचर क्रय पर राशि रू 61.71 लाख का अनियमित व्यय किया गया। नवीन भवन हेतु फर्नीचर प्रचलित बाजार दरों की तुलना में अधिक दरों पर क्रयकर राशि रू 30,54,076/–रू. का फर्मो को अदेय/अधिक भुगतान कर राजकोष को हानि पहुंचाया जाना पाया। क्रय किये गये फर्नीचर की गुणवता की जाँच किसी तकनीकी अधिकारी से करवाकर निरीक्षण रिपोर्ट नहीं ली गयी है। वर्तमान कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उक्त फर्नीचर का स्थानीय बाजार से करवाये गये मूल्यांकन में अधिकांश फर्नीचर निम्नस्तर का पाया गया है। जाँच दल के निरीक्षण में प्रशिक्षण कक्ष 2 एवं प्रशिक्षण कक्ष 3 का फर्नीचर अत्यन्त ही घटिया श्रेणी का पाया गया।

कनिष्ठ लेखाकार बैच 7 का प्रशिक्षण गैर आवासीय था, लेकिन उक्त प्रशिक्षणार्थीयों को अनाधिकृत रूप से हॉस्टल में ठहराकर प्रशिक्षणार्थीयों से रहने एवं मैस शुल्क भी लिया गया। प्रशिक्षणार्थीयों से अनाधिकृत रूप से बिना रसीद काटे प्रति प्रशिक्षणार्थी 3,850 रू वसूल किये गये, इस प्रकार राशि चार्ज किये जाने के कोई आदेश नहीं थे। इस प्रकार कुल 2,38,700 रू लगभग प्रशिक्षणार्थीयों से अनाधिकृत रूप से वसूल किये गये जिनकी ना तो कोई रसीद काटी गयी तथा ना ही कैश बुक में इन्द्राज किया गया। इस प्रकार प्रशिक्षणार्थीयों से अनाधिकृत रूप से राशि वसूलकर उसका कोई लेखा जोखा नहीं रखा जाना एक अत्यन्त गंभीर वित्तीय अनियमितता है। संस्थान द्वारा सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही ठेकेदार से हॉस्टल एवं मैस संचालन हेतु नियम विरूद्ध एम.ओ.यू. किया गया।

सीसीटीवी कैमरे न्यू आइटम थे, उक्त सीसीटीवी कैमरे के क्रय हेतु का प्रावधान उपलब्ध नहीं था। बिना बजट प्रावधान के तथा बिना सक्षम स्वीकृति प्राप्त किये उक्त सी.सी.टी.वी. कैमरे प्रशिक्षण मद में अनियमित रूप से क्रय किये गये जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों की स्पष्ट अवहेलना है, तथा गंभीर वित्तीय अनियमितता है। प्रशिक्षणार्थीयों को चाय देने हेतु किये गये व्यय में भी राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों की पालना का अभाव पाया गया।

कार्यालय में रिकार्ड एवं लेखो का संधारण अपूर्ण एवं नियमानुसार नहीं पाया गया। भण्डार पंजिकाओं में स्थाई प्रकृति की सामग्री को अस्थाई / लेखन सामग्री पंजिका में दर्ज करना पाया गया। स्थाई सामग्री को भी विभिन्न अधिकारीयों / कर्मचारियों को जारी करना बताकर शेष शून्य कर दिया जाता है। लेखन सामग्री क्रय एवं पेड–पौधे लगाने तथा बागवानी संबंधी कार्यों हेतु किये गये

व्ययों में नियमों की पालना का अभाव तथा अनियमितताएँ पायी गई। फर्नीचर क्रय पर फर्मों के बिलों से काटे गये टीडीएस क़ी राशि को आयकर विभाग में जमा करवाने का अभाव पाया गया।

इस प्रकार परिवाद मे अकिंत तथ्यों एवं प्राथमिक जांच की जॉच रिपोर्ट के अनुसार श्री गजानन्द सोनी तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक (लेखा) ह.च.मा. रीपा क्षेत्रीय कार्यालय कोटा व अन्य संबंधित कर्मियों द्वारा जून 2017 से 15 फरवरी 2019 तक के कार्यकाल में फर्नीचर क्रय करने, प्रशिक्षणार्थियों से मैस शुल्क लेने, सीसीटीवी. केमरे बिना बजट प्रावधान एवं बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये खरीदने एवं अन्य कार्यो पर व्यय किय जाने से राजकोष को कुल 99,38,008 रू. की हानि होना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया हैं, अतः श्री गजानन्द सोनी एवं अन्य द्वारा फर्नीचर क्रय किये जाने एवं अन्य कार्यो में अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं राजकोष को हानि पहुंचाने का कार्य धारा 13(1)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, 120 बी आई.पी.सी. एवं धारा 7, भ्रष्टाचार (निवारण संशोधन) 2018 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः संदिग्ध अधिकारी श्री गजानन्द सोनी पुत्र श्री श्यामलाल निवासी– सी–05/403–404, महालक्ष्मीपुरम, सिंघानिया स्कूल के सामने, बारां रोड, कोटा तत्कालीन निदेशक (लेखा) ह.च.मा. रीपा क्षेत्रीय कार्यालय कोटा हाल सेवानिवृत्त एवं अन्य के विरूद्ध अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं राजकोष को हानि पहुंचाने का कृत्य अन्तर्गत धारा 13(1)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, 120 बी आई.पी.सी. एवं धारा 7, भ्रष्टाचार (निवारण संशोधन) 2018 की हद मे आता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय

(विजय स्वर्णकार)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विजय स्वर्णकार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, 120बी आई.पी.सी.एवं 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) आरोपी 1. श्री गजानन्द सोनी पुत्र श्री श्यामलाल निवासी–सी–05/403–404, महालक्ष्मीपुरम,सिंघानिया स्कूल के सामने, बारां रोड, कोटा तत्कालीन निदेशक(लेखा) ह.च.मा. रीपा क्षेत्रीय कार्यालय कोटा हाल सेवानिवृत्त एवं 2.अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 59/2025 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी श्रीमती प्रेरणा शेखावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी को सुपुर्द कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर जारी की गई उक्त रोजनामचा आम रपट संख्या 263 पर अंकित है।

(डॉ. प्यारे लाल शिवरान)
पुलिस अधीक्षक–प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 326–30 दिनांक 19.03.2025

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. शासन सचिव, वित विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक–परि.,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर(प्राथमिक जाँच संख्या 04/2023)।

पुलिस अधीक्षक–प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।